UPBN010066732022

न्यायालय , तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,(दस्यु प्रभावित क्षेत्र,)बदायूँ।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः–3312/2022

C N R No–UPBN01006673–2022

राजीव कुमार उम्र 34 वर्ष पुत्र राममोहन

निवासी ग्राम सोना थाना रिसौली जिला बरेली ।

बनाम

स्टेट।

अन्तर्गत धारा 395 397 भा0 द 0 सं0

एस०एस०टी०संख्या–2187/2018

थाना बिसौली ,जिला बदायूँ ।

दिनॉकः 14–10–2022

प्रार्थी/अभियुक्त राजीव कुमार पुत्र राममोहन उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र एस०एस०टी०संख्या 2187/2018 सरकार बनाम ब्रजभान किशोर उर्फ पुत्तू आदि अंतर्गत धारा 395 397 भा0 द 0 सं0 थाना बिसौली जिला बदायूँ के मामले में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आत्मसमर्पण के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है।

प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र बल न दिये जाने के कारण दिनांक १३–०२.–२०२० को निरस्त किया गया है ।

मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजन को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

अभियोजन कथांनक के अनुसार दिनांक 25–09–2016 को दिन के करीब दो बजे जब वादी मुकदमा अपने पुत्र के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था तभी परसिया के आगे भटटे के पास अभियुक्तगण द्वारा घातक हथियारों से सुसज्जित होकर वादी मुकदमा की मोटरसाइकिल को असलहों के बल पर रोक लिया तथा चाकू ,तमंचे की बट व लाठी डण्डों से मारपीट कर वादी मुकदमा से बीस हजार रूपये नकद सोने की अंगूठी लूटे जाने व वादी मुकदमें के पुत्र मनोज को भी मारपीट कर चोटें पहुंचाकर उसका मोबाइल तोड दिये जाने का कथन किया है।

प्रार्थी/ अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को वाद उपरोक्त में मिथ्या अभियुक्त बनाया गया है ।प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कृत्य कारित नहीं किया गया है जैसा कि प्रार्थी पर लगाया गया है । प्रार्थी की पत्नी रैनू ने दिनांक ०९–८–२०१६ को थाना सिरौली में उपरोक्त वाद के परिवादी वल्दाऊ शर्मा पुत्र लीलाधर शर्मा ,,मनोज शर्मा ,अनुज शर्मा ,सोनू शर्मा पुत्रगण बलदाऊश शर्मा थाना सिरौली जनपद बरेली के विरूद्व एन०सी०आर०नम्बर २०९/२०१६ धारा ३२३,५०४ भा०द०सं० के अन्तर्गत पंजीकृत करायीथी जिसमें थाना सिरौली की पुलिस द्वारा वल्दाऊ शर्मा व उसके पुत्र अनुज शर्मा व सोनू शर्मा का धारा १५१ १०७,११६ सी०आर०पी०सी०के अन्तर्गत गिरफतार चालान किया गया ।एन०सी०आर०की प्रति सलंग्न उपलोकनार्थ है । उक्त रंजिश के फलस्वरूप परिवादी ने पेशबन्दी में प्रार्थी व उसके परिजनों के विरूद्व उक्त परिवाद योजित कियाहैं जिसमें दिनांक २५–०९–२०१६ को बैंक से रूपये निकालकर लोयऔर रूपये उसी दिवस लूट लिये जाने का कथन किया गया हैं जबकि उक्त दिवस रविवार का अवकाश होने के कारण बैंक बन्द

रहता है जिससे स्पष्ट है कि कथित घटना बनावटी व मिथ्या है ।घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है जो साक्षी परिवादी द्वारा पेश किये गये हैं वे सभी परिवादी के रिश्तेदार व हितबद्व साक्षी है । सहअभियुक्तगण की जमानत हो चुकी है । प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है न ही वह पूर्व सजायाफता है। प्रार्थी से जमानत के उपरान्त भागने एवं साक्ष्य बिगाडने का कोई भय नहीं है । प्रार्थी अपनी उचित जमानत देने को तैयार हैं । अतः दौरान वाद जमानत की याचना की गयी है ।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का घोर विरोध कियागया है तथा कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

मामला परिवाद पत्र आधारित है। अभियुक्त इस मामले में आत्मसमर्पण के आधार पर न्यायिक अभरिक्षा में हैं तथा दिनांक 12–10–2022 से इस मामले मे कारागार में निरूद्व है । उभय पक्ष के मध्य मुकदमेंबाजी कीरंजिश होना कहा गया है अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि वह निर्दोष है उसने कोई घटना कारित नही की है तथा मुकदमे बाजी की रंजिश के कारण उसे झूठा फंसाया गया है।पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी मुकदमा की जो आघात आख्या पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है उसमें दर्शायी गयी चोटें साधारण प्रकृति की है। सहअभियुक्त ब्रजभान उर्फ पुत्तू लाल इन्द्रजीत की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अतः वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुऐ गुण दोष पर कोई विचार न करते हुऐ इस स्तर पर आधार जमानत पर्याप्त है। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राजीव कुमार उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो जमानती दाखिल करने पर उसे इस प्रकरण के अंतर्गत जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 14–10–2022

(इरफान अहमद)
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र) बदायूँ ।
J.O Code UP 6120

Digitally signed by Irfan Ahmad
Date: 2022.10.14 16:30:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court